



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़  
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर- 492002  
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई-मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-306/ 2023

रायपुर, दिनांक 04/05/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर  
नवा रायपुर

विषय:-

Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 in favour of M/s Prakash Industries Pvt. Ltd. for non-forestry use of 515.581 ha. (201.806 ha. for Underground Mining) of forest land for Coal mining in Bhaskarpara Coal block under Surajpur District of Chhattisgarh State (Online Proposal - FP/CG/MIN/149564/2021)

- संदर्भ: 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, FC Division नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/ 8-09/2023-FC दिनांक 29.03.2023
2. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्र./एफ 5-01/2023/10-2 दिनांक 05.04.2023
3. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर का पत्र क्रमांक/ मा. वि./ न. क्र. 151/ 2023/ 1881 दिनांक 27.04.2023

—000—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भ पत्र-1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, FC Division नई दिल्ली द्वारा विषयांकित प्रकरण में 10 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है जिसकी संसूचना संदर्भ पत्र-2 के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त के अनुक्रम में संदर्भ पत्र -3 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर द्वारा 10 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी अनुशंसा सहित प्रेषित की गई है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.	आपत्ति विवरण	आपत्ति का निराकरण
1	From the DSS analysis a variation of 21.785 ha of area has been observed in the KML file of Revenue forest land uploaded. In this regard the State Govt. is requested to submit the revised KML files of the area proposed for diversion.	के.एम.एल. फाईल में राजस्व वनभूमि 21.785 हे. से संबंधित त्रुटि सुधार कर पुनः संशोधित के.एम.एल. परिवेश पोर्टल में अपलोड कर दी गई है। अपलोड की गई के.एम.एल. की सी.डी. संलग्न है। संलग्नक क्रमांक - 01
2	Out of 515.581 ha, 201.806 Ha will be used for Underground (UG) mining and remaining 313.775 ha for open cast (OC) mining and related activities. From the KML file available on PARIVESH it is not clear which area will be used for underground mining	प्रस्तावित कुल 515.581 हे. क्षेत्र में सं 201.806 हे. भूमिगत खदान क्षेत्र एवं 313.775 हे. क्षेत्र खुली खदान को के.एम.एल. फाईल में अलग-अलग चिह्नित करते हुये परिवेश पोर्टल में अपलोड कर दी गई है। अपलोड की गई के.एम.एल. की सी.डी. संलग्न है। संलग्नक क्रमांक - 01

	and which one will be used for surface mining. Therefore, the State govt. is requested to submit the KML of forest area proposed for UG and OC for further analysis.	
3	The KML file of proposed land-use (component wise breakup) including safety zone is not available on PARIVESH. In this regard the State govt. is requested to forward the same.	संशोधित के.एम.एल. फाईल में सेफ्टी जोन क्षेत्र को अलग से चिन्हांकित करते हुये परिवेश पोर्टल में अपलोड कर दी गई है। अपलोड की गई के.एम.एल. की सी.डी. संलग्न है। <b>संलग्नक क्रमांक - 01</b>
4	Out of total area proposed for diversion approximately an area 28 ha in Protected Forest is seen to have settlement, cultivation land and road as per high resolution Google Earth (GE) images. Further, the same structures are also visible in the proposed revenue forest land. In this regard the State government may offer its comments w.r.t. the encroachment and violation of FC Act 1980.	गूगल अर्थ पर दर्शित प्रस्तावित कुल क्षेत्र में से संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक पी 1620 तथा राजस्व वनभूमि क्षेत्र में ग्राम धरसेडी (कुदरीपारा) में स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसमें लगभग 51 लोग घर बनाकर निवासरत है एवं उनके द्वारा कृषि कार्य भी किया जा रहा है तथा उक्त क्षेत्र में कच्ची सड़क का निर्माण भी किया गया है।  आवेदक संस्थान द्वारा उक्त ग्राम के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन हेतु विस्तृत योजना तैयार की गई है। जिसमें प्रभावित ग्रामों को पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन योजना के तहत शासन द्वारा निर्धारित मुआवजा, व्यवस्थान एवं रोजगार प्रदाय किया जायेगा तथा आवेदक संस्थान द्वारा प्रभावित वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि के बदले प्रत्याशा मूल्य राशि एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु समतुल्य भूमि के साथ वृक्षारोपण की राशि भी प्रदाय की जायेगी। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का वचन पत्र संलग्न है। <b>संलग्नक क्रमांक - 02</b>
5	Observation based on high resolution Google Earth (GE) images shows solid structures in the Mudpar, Dumarkholi, Magaji, Sauni villages identified for CA land. In this regard the State Govt. is requested to offer its comments and shall also submit a certificate regarding proposed CA land is free from all encumbrances.	आवेदक संस्थान द्वारा हाई रेजोल्यूशन गूगल अर्थ में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित भूमि पर दर्शित हो रही छवियों (Images) को हस्तानान्तरण के समय खाली कराकर वन विभाग को हस्तानान्तरित करने बावत वचन-पत्र प्रस्तुत किया गया है। <b>संलग्नक क्रमांक - 03</b>
6	From the Mining plan submitted, it is not clear about the prediction of subsidence and its impact on forests and surface due to under ground mining. In this regard the State Govt. is requested to submit a numerical modelling in 3-Dimension for subsidence prediction through an expert mining engineer/ organization to assess long term damage on surface vegetation due to underground mining.	उक्त प्रस्तावित प्रकरण में अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार भूमिगत खनन के कारण सतह वनस्पति पर दीर्घकालिक क्षति का आकलन करने के लिए आवेदक संस्थान द्वारा खनन अभियांत्रिकी विभाग, आई.आई.टी. बी.एच.यू. से Numerical Modelling in 3-Dimension for subsidence prediction से कराया गया है जिसकी छायाप्रति संलग्न है। <b>संलग्नक क्रमांक - 04</b>

7	Since the proposal includes both open cast and underground mining, the State government is requested to furnish its comments whether in future is there any plan of converting the UG mines to Opencast.	भास्करपारा कोल ब्लॉक एक Fully Explored कोल परियोजना है, जिसमें खुली खदान एवं भूमिगत खदान दोनों ही प्रस्तावित हैं तथा उक्त परियोजना का माईनिंग प्लान भारत सरकार कोयला मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित है। एवं अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार भविष्य में भूमिगत खदान से खुली खदान में परिवर्तित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
8	State Govt. may clarify that the private non-forest land proposed for CA purpose is in the name of User Agency and the papers have been verified by the Competent Authority in the State. Further the order for transfer of the revenue non-forest land is not available. The State is requested to kindly provide the transfer deed/order of the proposed revenue land for the CA purpose.	आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी जा रही गैर वनभूमि को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तानान्तरण का कार्य प्रचलन में है तथा कुछ गैर भूमि वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित हो चुकी है। आदेश एवं खसरा बी-1 की छायाप्रति संलग्न है। आवेदक संस्थान द्वारा इस आशय का वचन-पत्र संलग्न किया गया है। <b>संलग्नक क्रमांक - 05</b>
9	The State Govt. is requested to forward the recommendation of CWLW on the approved Wildlife management plan and with regard to the instant proposal.	भास्करपारा कोल खनन परियोजना में वन्यप्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक व.प्रा.सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक छ.ग. नवा रायपुर के द्वारा किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है। <b>संलग्नक क्रमांक - 06</b>
10	The land use pattern mentioned in the Part-I of PARIVESH portal and the Land-use plan mentioned in the Mining Plan are different. In this regard the State govt. is requested to offer its comments.	आवेदक संस्थान द्वारा परिवेश पोर्टल के भाग -1 में माईनिंग प्लान के अनुसार संशोधन कर दिया गया है।

अतः संदर्भ पत्र-1 के अनुक्रम में उपरोक्तानुसार मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (02 प्रतियों में)

अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध / व.सं.अ)  
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-306/ 1611

रायपुर, दिनांक 01/05/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर वन मंडल, सूरजपुर, छत्तीसगढ़।
3. निदेशक, मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रिज लि. सीपत रोड, बिलासपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध / व.सं.अ)  
छत्तीसगढ़